अध्याय 7 निष्कर्ष

आधार, भारत के लिए एक विशिष्ट आई डी कार्यक्रम की कल्पना देश के निवासियों हेतु एक स्वैच्छिक पहचान प्रणाली के रूप में की गई थी एवं यू आई डी ए आई का गठन उपयुक्त रणनीति एवं योजनाओं को विकसित करने के लिए जनादेश के साथ परियोजना को संचालित करने के लिए किया गया था। मार्च 2021 तक, यू आई डी ए आई ने सितंबर 2010 में प्रथम आधार जारी होने के पश्चात से 129 करोड़ से अधिक आधार कार्ड बनाए थे। परियोजना अपने संचालन के लिए एक जटिल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है एवं संसार के सबसे वृहद बायोमेट्रिक डेटाबेस में से एक पर चलती है। निवासी आवेदक की विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी बायोमेट्रिक्स पर आधारित है। निवासी की बायोमेट्रिक पहचान का प्रमाणीकरण, आधार का उपयोग करके सरकार को इसे स्थिति में रखने एवं लाभार्थियों को सरकारी सेवाओं के वितरण में हानि/ नुकसान को रोकने के अपने प्रयासों में एक प्रमुख साधन के रूप में उपयोग करने में सहायता करता है। आधार पहचान का स्वैच्छिक उपयोग बैंकों एवं दूरसंचार ऑपरेटरों जैसी अन्य संस्थाओं को भी आवेदकों की पहचान सत्यापित करने में सक्षम बनाता है ताकि उन्हें सेवाएं प्रदान की जा सकें।

यू आई डी ए आई की चयनित नामांकन एवं प्रमाणीकरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा ने उनके कार्यकलाप एवं सेवाओं के वितरण तथा कई क्षेत्रों में जहां प्राधिकरण के कार्यकलाप में सुधार की संभावना है, कुछ कमियों को प्रकट किया।

यह देखा गया था कि यू आई डी ए आई ने धारक की अपूर्ण सूचनाओं/ प्रपत्रों के साथ आधार संख्या तैयार की थी, उचित प्रपत्रों के साथ आवेदकों के निवास की स्थिति की गैर-स्थापना, आधार डेटाबेस के साथ निवासी के कागजात की गैर-समीक्षा/ मिलान एवं खराब गुणवत्ता की बायोमेट्रिक्स स्वीकृति के परिणामस्वरूप एक ही व्यक्ति के कई/ प्रतिलिपि आधार नंबर प्राप्त होते हैं। खराब गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स वाले आधार नंबर प्रमाणीकरण त्रुटियों को प्रेरित करते हैं। यू आई डी ए आई इसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है एवं बायोमेट्रिक्स का अद्यतन करने का दायित्व निवासी को हस्तांतरित करता है एवं इस हेतु शुल्क भी प्रभारित करता है। पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों के लिए बाल आधार का प्रकरण बड़े पैमाने पर बच्चों की पहचान की विशिष्टता स्थापित किए बिना, आधार पदचिह्न के विस्तार पर केंद्रित था। इन बाल आधार नंबरों को जारी करने के लिए सरकार की लागत परिहार्य थी।

यू आई डी ए आई द्वारा स्थापित नियंत्रण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र भागीदार आई टी अवसंरचना के अनुरक्षण में निर्धारित मानकों

का पालन करते हैं, को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देखा गया था कि यू आई डी ए आई के विनियमों में वार्षिक आई एस लेखापरीक्षा निर्धारित करने के बावजूद आर ई एवं ए एस ए के एक बड़े प्रतिशत के संचालन की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा कभी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, यू आई डी ए आई ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि इसके प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्लाइंट एप्लिकेशन निवासियों की व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहीत करने में सक्षम नहीं थे, जो निवासियों की गोपनीयता को जोखिम में डालते हैं। प्राधिकरण ने आधार भंडार में डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की थी। उन्होंने स्वतंत्र रूप से सम्मिलित प्रक्रिया के अनुपालन का कोई सत्यापन नहीं किया था।

यू आई डी ए आई के अपने स्वयं के विनियमों का अनुपालन प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए शुल्क की विलंबित वसूली के कारण कम पाया गया, जिसने मार्च 2019 तक सरकार को उसके मिलने वाले राजस्व से वंचित कर दिया, यद्यपि आधार डेटाबेस का उपयोग बैंकों एवं मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा आवेदकों की पहचान के प्रमाणीकरण के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था।

इसके पश्चात देय शुल्क का निर्धारण किया गया।

यू आई डी ए आई द्वारा किए गए विभिन्न अनुबंधों के प्रबंधन में कमियां थीं। बायोमेट्रिक समाधान प्रदाताओं के लिए दंड को माफ करने का निर्णय प्राधिकरण के हित में नहीं था, जो समाधान प्रदाताओं को अनुचित लाभ दे रहा था, साथ ही उसके द्वारा प्रग्रहण किए गए बायोमेट्रिक्स की खराब गुणवत्ता की स्वीकृति का गलत संदेश प्रेषित कर रहा था।

सही पते पर आधार पत्रों का वास्तविक वितरण सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग के पास लाजिस्टिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी जो आधार वितरण तंत्र की दक्षता में सुधार के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम बिन्दु प्रबंधन को सही करने की आवश्यकता की ओर इंगित करते है।

यू आई डी ए आई मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत निवारण प्रणाली अप्रभावी थी तथा परिवादों के निवारण में विलंब से ग्रस्त थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा से निकलने वाली टिप्पणियों से ज्ञात होता है कि यू आई डी ए आई बायोमेट्रिक्स के माध्यम से स्थापित विशिष्ट पहचान के आधार पर बड़ी संख्या में निवासियों को एक पहचान प्रपत्र जारी करने में सफल रहा था। इससे निस्संदेह सरकारी तथा निजी संस्थाओं को सेवाओं के वितरण से पूर्व निवासियों की पहचान स्थापित करने में सहायता मिली है।

निवासियों के लिए आधार को जारी करना एक सतत् चलने वाली परियोजना है एवं यू आई डी ए आई विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से सरकार उन्हें दी गई अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्व को सक्रिय रूप से स्वीकार करने के लिए अच्छा करेगा तथा नामांकन प्रक्रिया के लिए आउटसोर्स संस्थाओं पर अपनी निरंतर निर्भरता को कम करेगा तथा इसके स्थान पर राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेगा।

लेखापरीक्षा अवलोकन एवं अनुशंसाएं यू आई डी ए आई प्रबंधन को उन क्षेत्रों, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है. की पहचान करने में, इसकी कार्यप्रणाली में सुधार, अपने स्वयं के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान प्रणालियों की समीक्षा एवं उनके द्वारा अनुरक्षित आधार डेटाबेस में सूचनायें सुरक्षित करने में सहायता कर सकती हैं।

मनीष कुमार
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

नई दिल्ली
दिनांक: 03 जनवरी 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 31 जनवरी 2022